भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1833
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

नंदिनी सहकार योजना

1833. # डॉ. भीम सिंह:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा चलाई जा रही नंदिनी सहकार योजना का उद्देश्य क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित और संवितरित के गई सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) बिहार राज्य में इस योजना से महिला सहकारी समितियों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, सहायता और क्षमता विकास का एक महिला केंद्रित ढांचा है, जिसका उद्देश्य महिला सहकारी समितियों को एनसीडीसी के दायरे में व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को अपनाने में सहायता करना है। महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।

नंदिनी सहकार योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के साथ खुद को संरेखित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था । यह योजना महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक सहायक ढांचा है । यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करता है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण इनपुट को एकीकृत करता है।

(ख) एवं (ग): एनसीडीसी का वित्तपोषण परियोजना आधारित है। नंदिनी सहकार योजना के तहत बिहार में किसी भी महिला सहकारी समिति से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हालाँकि, संचयी रूप से 31.03.2024 तक, एनसीडीसी ने देश भर में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से संचालित सहकारी समितियों के विकास के लिए 6426.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की है।

*****